बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्

(जैव विविधता अधिनियम, 2002 के अंतर्गत गठित वैधानिक निकाय)

बिहार सरकार

जैविक उत्पादों एवं संसाधनों के व्यापारियों के लिये सूचना

सं.–04, तिथि–10.03.2025

(1) जैव विविधता अधिनियम 2002, (संशोधन–2023) की धारा–7 तथा धारा–21 के अर्न्तगत एवं उक्त अधिनियम की धार–64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत अधिसूचित जैविक संसाधनों तक पहुँच और सहयुक्त जानकारी तथा फायदा बाँटना विनियम, 2014 के अनुसार नीचे कण्डिका (2) में उल्लेखित वनस्पतिकीय जैविक संसाधन/उत्पादों, (जिनका उपयोग औषधि, सौंदर्य प्रसाधन, खाद्य एवं पोषण सामग्रियों इत्यादि के रूप में अथवा उनके उत्पादन में होता है) के वाणिज्य व्यापार (खरीद–बिक्री, संग्रहण, भण्डारण, प्रसंस्करण, गुणवत्ता संवर्द्धन एवं आपूर्ति) एवं संबद्ध क्रिया–कलापों के सम्बन्ध में निम्नांकित नियामक प्रावधान हैः–

(i) वाणिज्यिक प्रयोजन से नीचे कण्डिका (2) में उल्लेखित विनियमित जैविक संसाधनों तक पहुँच एवं प्राप्ति (संग्रहण एवं संबद्ध क्रिया–कलाप) के लिये सम्बन्धित व्यापारी द्वारा बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् को पूर्व सूचना दिया जाना अनिवार्य है।

(ii) पंचायतों के अधिकारिता क्षेत्र से संग्रहित विनियमित जैविक संसाधनों के वाणिज्यिक संग्रहण एवं विपणन से व्यापारी के फायदा को जैव विविधता प्रबन्ध समिति से बाँटना बाध्यकारी है।

(iii) पंचायत क्षेत्र से इन जैविक संसाधनों का वाणिज्यिक संग्रहण इस प्रकार सुनियोजित रूप से हो ताकि उनकी सतत् उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव या उनके संकटापन्न होने की आशंका न हो, जैव विविधता प्रबन्धन समिति को ऐसा सुनिश्चित करने तथा इस प्रयोजनार्थ संकटापन्न प्रजाति के वनस्पतियों से जैविक संसाधनों/उत्पादों के वाणिज्यिक संग्रहण को निषिद्ध करने की जिम्मेवारी या अधिकार प्रदत्त है।

(2) विनियमित वनस्पतिकीय जैविक संसाधन/उत्पाद की विवरणीः–

जैव विविधता अधिनियम 2002 (संशोधन–2023) की धारा–40 के तहत अधिसूचनाओं (2016 एवं 2017) द्वारा अधिनियम के प्रभाव से विमुक्त घोषित कुल 421 वनस्पतिकीय जैविक संसाधनों (विनिर्दिष्ट पादप भाग - Plant Parts) को छोड़कर शेष अन्य सभी जैविक संसाधन/उत्पाद जैव विविधता अधिनियम के अन्तर्गत विनियमित श्रेणी में हैं। **421 वनस्पतिकीय जैविक संसाधनों की सूची पर्षद् के Website – https://bsbb.bihar.gov.in/ पर अथवा 'सूचना' पर अंकित QR कोड को स्कैन कर देखा जा सकता है।**

ज्ञातव्य है कि काली मूसली (Curculigo orchiodes), मरोड़ फली (Helicteres isora), अनंतमूल (Hemidesmus indicus), कालमेघ (Andrographis paniculata), सतावर (Asparagus racemosus), कौंच (Mucuna pruriens), कुटज (Holarrhena antidysenterica), पाटला (Stereospermum suaveolens), अर्जुन (Terminalia arjuna), अग्निमन्था (Premna integrifolia) वैसे जैविक वनस्पतिकीय संसाधन हैं जो विमुक्त 421 जैविक संसाधनों की श्रेणी में नहीं हैं, एवं इनपर कंडिका (1) में उल्लेखित जैव विविधता अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं।

(3) एतद्वारा ऐसे सभी व्यापारियों को, जो उपर्युक्त कण्डिका (2) में उल्लेखित जैविक उत्पादों का व्यापार करते हैं या करना चाहते हों, सूचित किया जाता है कि इस विषय में प्रासंगिक जैविक संसाधन अर्थात् वनस्पति–पेड़–पौधे से संग्रहित उत्पाद के नाम, स्रोत स्थान का पंचायत, क्रय स्थान एवं/अथवा भण्डारण स्थान का पंचायत एवं मात्रा का अवधिवार विवरण इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 01 माह की अवधि में निम्नांकित कण्डिका (4) में अनुदेश के अनुसार उपलब्ध करायी जाय।

(4) उपर्युक्त के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना निम्न पदाधिकारियों को दी जाय।

(i) बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद को निम्नांकित पते परः–
सचिव, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, चतुर्थ मंजिल, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड परिसर, शास्त्रीनगर, पटना–800023, (यह सूचना इ–मेल द्वारा भी **bdbihar@bihar.gov.in** पर प्रेषित की जा सकती है।)

(ii) सम्बन्धित जिले के वन प्रमण्डल पदाधिकारी।

(iii) सम्बन्धित पंचायत के पंचायत सचिव।

(5) ज्ञातव्य हो कि उपर्युक्त अनुदशों एवं अधिनियम की सम्बद्ध धाराओं का उल्लघंग जैव विविधता अधिनियम, 2002 (संशोधन–2023) की धारा–55, 56 एवं 57 के तहत् दण्डनीय अपराध है।

(एस० चन्द्रशेखर)
सचिव, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, पटना।

PR. No. 21519 (B & C) 2024-25

जैव विविधता–बेहतर संतुलन, स्वस्थ पारितंत्र, संरक्षित पर्यावरण, सुरक्षित जीवन
जैव विविधता अधिनियम के प्रावधानों का पालन कर जैव विविधता संरक्षण में योगदान करें।